न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 78/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भीमाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाडमेर।		1 करनाराम पुत्र धनाराम 2 केहनी पत्नी धुड़ाराम 3 वीराराम 4 वगताराम 5 अर्जुनराम 6 सोनाराम पिसरान धुड़ाराम 7 गोमाराम 8 करनाराम पिसरान चीमाराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री ओमप्रकाश विश्नोई वकील प्रार्थी।

2 श्री सुनिल बी.एल. रामावत वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 30/07/19।

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नांद पटवार मण्डल नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 729/621 रकबा 135.04 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी के खेत के पड़ौस में अप्रार्थी संख्या 01 का पैतृक खातेदारी का खसरा संख्या 730/521 रकबा 135.04 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 का खेत खसरा संख्या 732/621 रकबा 95.17 बीघा, अप्रार्थी संख्या 07 के खसरा संख्या 733/621 रकबा 202.16 बीघा, अप्रार्थी संख्या 08 के खसरा संख्या 726/621, 728/621, 731/621 कुल रकबा 161.00 बीघा के आए हुए है। वक्त बन्दोबस्त मूल खसरा संख्या 621 कुल रकबा 742.06 बीघा की पैमाईश होकर कब्जा काश्त अनुसार धना, चिमा पिसरान दुर्गा के नाम पर्चा लगान जारी होकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हो गई। उक्त भूमि में से रास्ता निकलने के कारण 09.14 बीघा भूमि सडक में चली गई। उक्त भूमि दो भागों में विभक्त होने से मूल खसरा 621 का रकबा 699.16 बीघा तथा नवीन खसरा संख्या 621/1 रकबा 32.16 बीघा शेष रहा। धना, चिमा पिसरान दुर्गा द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 621 का बंटवाड़ा करवाया जिसका नामान्तकरण भी पारित हो गया। उक्त बंटवाड़े के पश्चात चीमा के हिस्से में खसरा संख्या 621 में से 333 बीघा व खसरा संख्या 621/2 रकबा 32.16 बीघा भूमि दर्ज हुई तथा धना के हिस्से में से खसरा संख्या 621 में से 366.06 बीघा दर्ज हुई। धना के पुत्रों भीमा, करना व धूड़ा द्वारा भी अपनी पैतृक भूमि खसरा संख्या 621 का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 242 पारित हुआ तथा भीमा के हिस्से में मूल खसरा संख्या 621 में से नव सृजित खसरा संख्या 621/4 रकबा 135.04 बीघा करना के हिस्से में नवसृजित खसरा संख्या 621/5 रकबा 135.04 बीघा, तथा धूड़ा के हिस्से में नवसृजित खसरा संख्या 621/6 रकबा 95.17 बीघा दर्ज हुई। चिमा के पुत्र करना व गोमा ने भी अन्य खसरों की भूमि के साथ मूल खसरा संख्या 621 का आपसी सहमति

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

से विभाजन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 241 पारित किया गया। उक्त बंटवाड़ा पश्चात मूल खसरा संख्या 621 विभक्त होकर नव सृजित खसरा संख्या 621/2 रकबा 32.16 बीघा, खसरा संख्या 621/3 रकबा 96.05 बीघा, खसरा संख्या 621/6 रकबा 34.09 बीघा कुल रकबा 163.10 बीघा, गोमा के हिस्से में खसरा संख्या 621 विभक्त होकर खसरा संख्या 621/1 रकबा 202.16 बीघा आई। खसरा परिवर्तन होने से खसरा संख्या 621/4 से 729/621, खसरा संख्या 621/5 से 730/621, खसरा संख्या 621/7 से 732/621, खसरा संख्या 621/2 से 726/621, खसरा संख्या 621/3 से 728/621, खसरा संख्या 621/6 से 731/621, खसरा संख्या 621/1 से 733/621 दर्ज हुए। अप्रार्थी चिमा ने खसरा संख्या 621/2 वर्तमान खसरा संख्या 726/621 रकबा 32.16 बीघा में से 02.10 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ विद्यालय हेतु समर्पित कर दी। वर्तमान में उक्त खसरों की भूमि 30.06 बीघा अंकित है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा के अनुसार मूल खसरा संख्या 621 में से प्रार्थी के हिस्से में नया खसरा संख्या 621/4 से नवसृजित खसरा संख्या 729/621 की भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी में तो शुद्ध किया गया परन्तु लठ्ठा ट्रेस में जमाबन्दी में अंकित रकबे से कम की तरमीम की गई, जो अशुद्ध है, जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है, इस प्रकार प्रार्थी के खसरा संख्या 729/621 रकबा 135.04 बीघा की लठ्ठा ट्रेस में तरमीम कम की गई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 730/621 रकबा 135.04 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 से 06 तक के खसरा संख्या 732/621 रकबा 95.17 बीघा, अप्रार्थी संख्या 07 के खसरा संख्या 733/621 रकबा 202.16 बीघा एवं अप्रार्थी संख्या 08 के खसरा संख्या 726/621, 728/621 व 731/621 कुल रकबा 161.00 बीघा की तरमीम अधिक की गई जिसे शुद्ध करवाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य भूमि विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सही किये गये थे तथा जमाबन्दी में भी रकबा का अंकन सही किया गया है। परन्तु वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि पर खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाया गया है जिस भूमि को हड़पने की नीयत से प्रार्थी द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 730/621 रकबा 135.04 बीघा का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार की गई तरमीम सही है। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ./21/4362 दिनांक 04.09.2021 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा नांद के खसरा संख्या 726/621, 728/621, 729/621, 730/621, 731/621, 732/621 व 733/621 के रकबा की क्रमशः स्थिति निम्नप्रकार है :– खातेदार करनाराम पुत्र चिमाराम के खसरा संख्या 726/621, 728/621, 731/621 रकबा क्रमशः 30.06, 96.00, 34.09 बीघा कुल रकबा

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

160.15 बीघा एवं खातेदार भीमाराम पुत्र धनाराम के खसरा संख्या 729/621 रकबा 135.04 बीघा व खातेदार करना पुत्र धानाराम के खसरा संख्या 730/621 रकबा 135.04 बीघा एवं खातेदार केहनी देवी पत्नी धुड़ाराम वगैरा के खसरा संख्या 732/621 रकबा 95.17 बीघा व खातेदार गोमाराम पुत्र चीमाराम के खसरा संख्या 733/621 रकबा 202.08 बीघा के नाम खातेदारी भूमि जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। मौके पर सभी खातेदारों के कंटली बाड़ बनाकर अलग–अगल काश्त की हुई है। अपने कब्जा अनुसार ढाणियां भी बनी हुई है। उक्त खसरा नम्बर जमाबन्दी में दर्ज है परन्तु पटवारी हल्का के पास उपलब्ध लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही है। प्रार्थी भीमाराम ने पटवारी हल्का को पास बुक दिनांक 30.07.1973 पेश की जिसमे खसरा संख्या 621/4 रकबा 135.04 बीघा की तरमीम की गई है, जिसका नक्शा साथ में लगा हुआ है, परन्तु मौके पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा बाड़ व कब्जा करते समय भीमाराम की भूमि संकड़ी कर दी गई आकार वैसा ही रखा गया है, उस अनुसार मौके पर 98.02 बीघा पर कब्जा है भूमि 36.18 बीघा कम पड़ रही है। हल्का पटवारी द्वारा जारी पुरानी पासबुक अनुसार तरमीम की जाती है तो भूमि 135.04 बीघा पूर्ण होती है। उस अनुसार मौका नक्शा तैयार किया गया। उस अनुसार करना पुत्र चिमा की कब्जा सुदा भूमि जो हरे रंग से दर्शाई गई है। उसमे पुराना लठ्ठा में खसरा संख्या 731/621 दर्ज है। जमाबन्दी अनुसार 34.09 बीघा भूमि होनी चाहिए थी मौके पर 80.16 बीघा भूमि पर कब्जा है यानि 46.07 बीघा भूमि अधिक है, जबकि सड़क के दुसरी तरफ खसरा संख्या 726/621 रकबा 30.06 बीघा जमाबन्दी अनुसार होना चाहिए उस पर भी करना पुत्र चिमा का बाड़ बनाकर 40.18 बीघा पर कब्जा है, जो समर्पण भूमि (स्कुल) सहित है, वो भी 07.14 बीघा ज्यादा है, जबकि मूल खसरा संख्या 621 इनका सामलाती पुस्तैनी खसरा था। उस समय भाई बंट अनुसार काश्त की जा रही थी एवं उसके बाद सहमति से विभाजन किया गया। विभाजन के पश्चात ढाणियां वगैराह बनाकर काबिज है। करनाराम पुत्र चिमाराम के कब्जे में अधिक भूमि है। वो इसी खसरे की ही है। मौके पर काबिज गोमाराम पुत्र चिमाराम के खसरा संख्या 733/621 (पुराने नक्शे अनुसार) रकबा 202.08 बीघा जमाबन्दी अनुसार होना चाहिए, परन्तु मौके पर 218.01 बीघा भूमि पर कब्जा है, जो मौके पर 15.14 बीघा अधिक है। इस कारण भीमाराम पुत्र धनाराम के पास 36.18 बीघा भूमि कम पड़ रही है। अतः पुराना नक्शा अनुसार तरमीम अनुसार मौके का मिलान नही हो रहा है क्यो कि उपरोक्त अनुसार काश्तकार सही नाप अनुसार काबिज नही है एवं मौजुदा हल्का पटवारी के पास उपलब्ध लठ्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित नही है। मौका अनुसार भीमाराम पुत्र धनाराम की भूमि मौके पर कम पड़ रही है। उसकी भरपाई पडौसी खसरा नम्बर 733/621 जो गोमाराम पुत्र चीमाराम का है, उसमे से 15.14 बीघा भूमि मौका अनुसार कम की जावे, जिसका नक्शा बरंग लाल में दर्शाया है एवं बाकी 21.07 बीघा भूमि पडौसी खसरा संख्या 730/621 जो की करनाराम पुत्र धनाराम से ली जावे जो संलग्न नक्शे में बरंग पीला दर्शाई गई है एवं करनाराम पुत्र धनाराम की भूमि जो कम पड़ेगी वो खसरा संख्या 721/621 करनाराम

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

पुत्र चिमाराम के अत्यधिक कब्जे मे से कम किये जाने से पूर्ण हो जावेगी। मौके के अनुसार जो भूमि कम वह ज्यादा की जानी है उसका नक्शा मय नाप अलग–अलग रंग भरकर साथ में पेश किया जा रहा है, जो इस मौका फर्द का अभिन्न अंग रहेगा नक्शा अनुसार दर्शाये गये नाप अनुसार रंग अनुसार तरमीम की जाती है तो मौके पर प्रभावित खातेदारों की बाड़ का कब्जा हटाना पड़ेगा बाड का कब्जा हटाने से किसी भी काश्तकार की ढाणी, ट्युबवेल किसी प्रकार का निर्माण प्रभावित नही होगा एवं भीमाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी भूमि 135.04 बीघा पूर्ण हो जायेगी जो रंग हरा से दर्शाई गई है।

उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका एवं नक्शा से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान द्वारा मूल खसरा संख्या 621 कुल रकबा 742.06 बीघा का आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया था। विभाजन के पश्चात पक्षकारान अपनी–अपनी भूमि पर काबिज हुए। तहसीलदार बाडमेर द्वारा जो मौका फर्द एवं नक्शा उपलब्ध करवाया है उससे यह प्रतीत होता है कि जमाबन्दी में अंकित रकबा तथा लठ्ठा ट्रेस में अंकित भूमि के रकबे में अन्तर है, जिस दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा के अनुसार आवेदन में अंकित भूमि मौजा नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 729/621, 730/621, 732/621, 733/621, 726/621, 728/621 व 731/621 में तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 30/09/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर